JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in
बिहार सरकार

प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति में सदस्यता अभियान हेतु मार्गदर्शन
(जिला स्तरीय सहकारी समिति सदस्यता अभियान हेतु)

प्राथमिक सहकारी समिति में सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । समिति की प्रशासनिक, वित्तीय एवं वैधानिक प्रबंधक सदस्य केन्द्रित होती है और समिति की सभी सेवाओं के लाभार्थी सदस्य ही हैं । समिति के प्रजातान्त्रिक, स्व-नियंत्रित, स्व-प्रबन्धित व्यवस्था के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए सदस्यों की सजग और सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है । सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से सामान्य निकाय एवं निदेशक पर्षद/ मंडल के सफल संचालन और सदस्य को अपने कर्तव्यों एवं कार्यों के प्रति उतरदायी बनाता है तथा प्रत्येक स्तर पर सदस्यों की नेतृत्व क्षमता का विकास होता है । इसके लिए संगठन/ समिति में योग्य/ पात्र सदस्यों का जुड़ा होना अनिवार्य है ।

प्रस्तावित संस्थागत संरचना (उपविधियाँ के अनुसार) ग्राम स्तर पर गठित प्रत्येक सामुदायिक संगठन द्वारा नामित दो सदस्य , जो पदधारी न हो, प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य होंगे ।

वर्तमान में जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र का निबंधन बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में कराया जा रहा है । इसके अंतर्गत कुल 17 जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र को प्राथमिक सहकारी समिति के रूप में निबंधित किया गया है । प्रत्येक समिति में सदस्यों की ससमय सदस्यता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है एवं समिति द्वारा सदस्यता अभियान संचालित कर सदस्यों को तत्काल समिति से जुड़ाव की आवश्यक है ।

सदस्यता अभियान हेतु पात्रता, सदस्यों की न्यूनतम वार्षिक कार्य एवं सदस्यता अभियान संचालन में निदेशक पर्षद/ निदेशक मंडल की भूमिका :-

सदस्यता हेतु पात्रता:-

1. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति अंतर्गत ग्राम स्तर पर गठित प्रत्येक सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन) द्वारा नामित दो सदस्य , जो पदधारी न हो ।
2. समिति के कार्यक्षेत्र की निवासी हो ।
3. अधिनियम एवं उपविधियाँ में निर्धारित सदस्यता की शर्तें पूरी करती हो ।
4. निर्धारित सदस्यता आवेदन प्रपत्र-V (**Annexure-I**) के साथ निर्धारित सदस्यता शुल्क (रु. 10) और हिस्सा पूँजी (रु.100) समिति में जमा किया हो ।
5. सदस्य को समिति के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य नहीं करना है ।
6. सामुदायिक साधन सेवी के रूप में प्रशिक्षण कार्य में अनुभवी सदस्य तथा परिवर्तित पदधारी को प्राथमिकता दी जायेगी ।
7. किसी प्रकार का कैडर समिति के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे ।

सदस्य द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम वार्षिक कार्य :-

1. सामान्य निकाय/ निदेशक पर्षद द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यों का संपादन करना ।
2. वार्षिक आम सभा में प्रत्येक वर्ष सक्रिय भागीदारी होना ।
3. समिति द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना ।
4. निदेशक पर्षद एवं सामान्य निकाय द्वारा समय-समय निर्धारित अन्य कार्य एवं दायित्व को पूरा करना ।

निदेशक पर्षद/निदेशक मंडल की भूमिका :-

सदस्यता अभियान संचालन में निदेशक पर्षद/मंडल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है ।

1. निदेशक पर्षद/मंडल की बैठक में निर्णय कर सदस्य को समिति से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान का संचालन करना । इसके लिए सामुदायिक साधन सेवी एवं सामुदायिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. सदस्यों को सदस्यता प्रदान, हिस्सा पूंजी खरीदने एवं उसके लाभ और समिति की सेवाओं के बारें में जानकारी उपलब्ध कराना या पहुँचाना ।
3. सदस्यता एवं हिस्सा पूंजी जमा होने पर तत्काल बैठक कर उपविधियाँ अधीन सदस्य अहर्ता के अनुसार अनुमोदित करना ।
4. अनुमोदन के बाद सदस्य को हिस्सा प्रमाण पत्र निर्गत करना **(Annexure-II)** ।
5. सदस्यता एवं हिस्सा पूंजी की राशि का उचित एवं निर्धारित लेखा संधारण करना ।
6. सदस्य को समिति से जुड़े रहने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना एवं विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना ।

सदस्यता अभियान की रणनीति एवं प्रक्रिया:-

निदेशक पर्षद / मंडल द्वारा सदस्यता अभियान 30 दिनों के लिए संचालित किया जायेगा । समिति इस सघन कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम संगठन के लेखापाल (Book Keeper) की सेवा सामुदायिक साधन सेवी के रूप में उपयोग कर सकता है ।

1. प्रत्येक प्रखण्ड से सभी ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK) इस कार्य को अपने संबंधित ग्राम संगठन में करेंगे । जिसकी सूची प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा सकुल स्तरीय संगठन की सहमति से उपलब्ध कराया जाएगा ।
2. ग्राम संगठन की बैठक में दो सदस्यों को नामित किया जाएगा । जिसे कार्यवाही पंजी/ रजिस्टर में लिखना अनिवार्य है ।
3. नामित सदस्य का सदस्यता आवेदन प्रपत्र-V **(Annexure-I)** भरा जाएगा ।
4. नामित सदस्य का सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी ग्राम संगठन में जमा होगा ।
5. ग्राम संगठन सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी की राशि को समिति के खाते में जमा करेगा ।
6. सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्यालय में सदस्य की सूची और बैंक जमा पावती जमा होगा
7. सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्राम संगठन द्वारा नामित सदस्यों की सूची और बैंक जमा पावती को नीचे दिये गए प्रपत्र में संकलित (Compile) कर जिला परियोजना इकाई समिति को देगा ।

क्रम.	सदस्य का नाम	ग्राम संगठन का नाम	सदस्यता शुल्क (रूपये में)	हिस्सा पूंजी (रूपये में)	बैंक जमा पावती (हाँ/ नहीं)

8. समिति का निदेशक पर्षद/ मंडल अनुमोदित कर हिस्सा प्रमाण पत्र **(Annexure-II)** निर्गत करेगा ।

9. समिति द्वारा निर्धारित लेखा बही एवं प्रपत्र (**Annexure-III**) को अद्यतन किया जाना अनिवार्य है ।

सदस्यता अभियान की मुख्य गतिविधियाँ :-

दिवस	गतिविधि	मुख्य जिम्मेदारी
7 दिन	सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा सभी ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK) की सूची उपलब्ध कराया जाना ।	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक/ प्रखण्ड मेंटर
	सम्बंधित जिला प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन, जिला प्रबंधक - सामुदायिक वित्त, प्रखण्ड मेंटर का एक दिवसीय उन्मुखीकरण ।	संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन टीम (SPMU)
	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक का एक दिवसीय उन्मुखीकरण	संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन टीम, प्रखण्ड मेंटर
	सदस्यता आवेदन प्रपत्र एवं हिस्सा प्रमाण की छपाई ।	प्रबंधक – प्रोक्योमेंट (DPCU)
सदस्यता अभियान		
पहला दिन-आठवाँ दिन	सम्बंधित क्षेत्रीय समन्ववयक, प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक, फैसिलिटेटर एवं लेखापाल का एक दिवसीय उन्मुखीकरण– जिला स्तरीय ।	प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन/ प्रखण्ड मेंटर
	ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK) का एक दिवसीय दिवसीय उन्मुखीकरण-प्रखण्ड स्तरीय	क्षेत्रीय समन्वयक
	सदस्यता आवेदन प्रपत्र (फॉर्म -V) एवं हिस्सा पूँजी प्रमाण पत्र समिति एवं सदस्यता आवेदन प्रपत्र ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK) की टीम तक उपलब्धता ।	प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन/ प्रखण्ड मेंटर एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक
नौवाँ दिन – तेईसवाँ दिन	प्रत्येक ग्राम संगठन की निदेशक पर्षद/मंडल की बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा एवं सदस्य (दो) नामित किया जाना ।	प्रखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक
	प्रत्येक नामित सदस्य का सदस्यता आवेदन प्रपत्र (फॉर्म -V) भरा जाना	ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK)
	सदस्य द्वारा सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी राशि को ग्राम संगठन में जमा करना ।	ग्राम संगठन कोषाध्यक्ष
	ग्राम संगठन द्वारा समिति के खाते में सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी राशि जमा करना	
चौबीसवाँ दिन	ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK) द्वारा सदस्यों की सूची एवं बैंक जमा पावती का निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार करना	ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK)
	प्रतिवेदन को प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में जमा करना	क्षेत्रीय समन्वयक
पच्चीसवाँ दिन - छबीसवाँ दिन	प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा समेकित प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयन इकाई/ समिति को जमा करना	प्रखंड परियोजना प्रबंधक प्रखण्ड मेंटर

सताईसवाँ दिन- तीसवाँ दिन	समिति द्वारा प्रतिवेदन एवं बैंक खाता में जमा राशि से मिलान कर अनुमोदित किया जाना हिस्सा प्रमाण पत्र निर्गत करना एवं सदस्यों तक उपलब्धता समिति के लेखा पुस्तकों को अद्यतन करना	निदेशक पर्षद/ मंडल टी. एल. सी. समन्वयक, लेखापाल टी. एल. सी. लेखापाल

नोट: समिति की निदेशक पर्षद बैठक में सदस्यता अभियान के अनुश्रवण के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक , निदेशक पर्षद के दो सदस्य की टीम गठित होगी। सदस्यों के जुड़ाव के बाद शेष सदस्यों का समिति से जुड़ाव हेतु सम्बंधित जिला 7 अतिरिक्त दिनों का सदस्यता अभियान का संचालन कर सकेगा। प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र समन्वयक एवं प्रशिक्षण फैसिलिटेटर ग्राम संगठन लेखापाल का प्रखण्ड स्तरीय उन्मुखीकरण हेतु समन्वय करेंगे एवं अभियान के दौरान क्षेत्र भ्रमण कर प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई तथा ग्राम संगठन लेखापाल को सहयोग करेंगे।

ग्राम संगठन लेखापाल (VO BK) को अधिकतम 5 दिनों का मानदेय भुगतान परियोजना द्वारा आतंरिक सामुदायिक संसाधन सेवी नीति के अनुसार किया जाएगा। सभी सदस्यों को हिस्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बाद ही मानदेय भुगतान किया जाएगा। सदस्यता एवं हिस्सा प्रमाण पत्र की छपाई BTDP (Component 1 A.7- Purchase of Book of Records), NRETP (B 2.2.3- Other Capacity Building), NRLM (B 2.1.3.4- Printing and Stationery) के अंतर्गत किया जायेगा। सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि अभियान संचालन पूर्व सदस्यता आवेदन प्रपत्र- V एवं हिस्सा प्रमाण पत्र **(A4 साईज, 75 GSM)** की छपाई करा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला परियोजना प्रबंधक को निदेशित किया जाता है सम्बंधित प्रबंधक - संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन, प्रबंधक - प्रोक्योरमेंट, प्रबंधक-सामुदायिक वित्त, सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर एवं प्रखण्ड परियोजना प्रबंधको की दैनिक समीक्षा कर गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

Signed by Rahul Kumar
Date: 25-06-2022 13:09:18
Reason: Approved
(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सह- राज्य मिशन निदेशक

अनुलग्नक:-

1. सदस्यता आवेदन प्रपत्र- V (Annexure-I)
2. हिस्सा पूँजी प्रमाण पत्र (Annexure-II)
3. सदस्यता एवं हिस्सा पूँजी प्रपत्र (Annexure-III)

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/ प्रबंधक क्षमता वर्धन/प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक
4. सभी सम्बंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण सहकारी समिति
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. सम्बंधित संचिका

Annexure-I

…………………जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ……………………

(सदस्यता हेतु आवेदन का प्रपत्र- V)

सेवा में,

निदेशक पर्षद (द्वारा सचिव/मुख्य प्रवर्तक)

………………………जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ……………………

महोदया,

मैं एतद् द्वारा……………………जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, …………………… का एक सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन करती हूँ। मैं समिति की उपविधियां को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है/समिति की उपविधियां मुझे पढ़कर सुना दी गयी है तथा मैं इसका अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ ।

मैं आपसे समिति का………. शेयर आवंटित करने का अनुरोध करती हूँ और एतद् द्वारा इसे स्वीकार करने की सहमति देती हूँ. यदि मुझे इससे कम शेयर भी आवंटित किया जायेगा तो मुझे स्वीकार होगा।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम-1996 या बिहार सहकारी समिति अधिनियम-1935 के अधीन निबंधित ऐसी या समान सेवा देनी वाली किसी अन्य सहकारी समिति की सदस्य नहीं हूँ और न ही किसी निबंधित सहकारी समिति का बकायेदार हूँ ।

मैं, एतद् द्वारा अपने नामित व्यक्ति को मनोनीत करती हूँ, जिसे मेरी मृत्यु के बाद मेरे शेयर, जमा एवं अन्य कोई हित अंतरित किया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन

स्थान:-

दिनांक:-

(सदस्य का हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम:………………………………………पति/पिता का नाम:……………………………………

उम्र:………… (वर्ष) स्थायी/वर्तमान पता: ग्राम-……………… डाकघर-……………, थाना- ……………………

जिला- ……………………

मनोनीत व्यक्ति का नाम :…………………………सदस्य के साथ रिश्ता:…………………………………

हम समिति के अधोहस्ताक्षरी सदस्य अनुशंसा करते है कि सुश्री/श्रीमती………………………………को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाय ।

हस्ताक्षर 1………………………………………… 2……………………………………………

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक……………………में पारित प्रस्ताव संख्या……….द्वारा…………शेयर आवंटित किये गये । रसीद संख्या………….दिनांक……………………………द्वारा रूपये………………जमा किया गया ।

सचिव/मुख्य प्रवर्तक

Annexure-II

हिस्सा प्रमाण-पत्र

(कार्यालय प्रति)

.... जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ...

निबंधन संख्या : ....

दिनांक: ....

हिस्सा प्रमाण-पत्र संख्या : ....

हिस्सा क्रमांक : .... से......................तक

सदस्य / हिस्सेदार का नाम: ....

पति का नाम: ....

पता :

ग्राम: .... पो : ....

थाना : ....

जिला : ....

प्रमाण पत्र पाने वाले का हस्ताक्षर

अध्यक्ष सचिव

हिस्सा प्रमाण-पत्र

(सदस्य प्रति)

.... जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ...

निबंधन संख्या : ....

बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (बिहार अधिनियम 2. 1997 के अंतर्गत निबंधित)

हिस्सा प्रमाण-पत्र संख्या : .... हिस्सा क्रमांक : .... से......................तक दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति.. ग्राम ....पो .... थाना ....जिला .... ने ....जीविका महिला प्रशिक्षण एवं शिक्षण स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड , ... की उपविधियाँ को अच्छे से समझते हुए / स्वीकार करते हुए सहकारी समिति का / के हिस्सा क्रमांक ....से .... तक कुल .... हिस्सा ख़रीदा / लिया है जिसकी कीमत प्रति हिस्सा........... रु० की दर से कुल .... रु० मात्र चुकता / भुगतान की है और सदस्य / हिस्सा आवंटन की तिथि/दिनांक .... है जो निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक .... के प्रस्ताव संख्या.................. में अनुमोदित है I

हिस्सा की बिक्री या हस्तांतरण समिति के अनुमति के बाद ही मान्य होगा जिसका विवरण प्रमाण-पत्र की पीठ / पीछे के पृष्ट पर और हिस्सा हस्तानान्तरण रजिस्टर में अंकित है I

अध्यक्ष (मुहर) सचिव (मुहर)

Annexure-II

हिस्सा हस्तानान्तरण का विवरण		
बोर्ड प्रस्ताव संख्या और तिथि	हस्तानांतरित हिस्सा लेने वाले व्यक्ति का नाम	अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक का हस्ताक्षर

हिस्सा हस्तानान्तरण का विवरण					
दिनांक	हिस्सा हस्तानान्तरण क्रम संख्या और रजिस्टर पृष्ठ संख्या	हिस्सा पूंजी क्रम संख्या और रजिस्टर पृष्ठ संख्या	बोर्ड प्रस्ताव संख्या और तिथि	हस्तानांतरित हिस्सा लेने वाले व्यक्ति का नाम	अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक का हस्ताक्षर

1028873/2022/IBCB-JEEVIKA

Annexure-III

सदस्यता एवं हिस्सा पूंजी प्रपत्र												
क्रं.	सदस्य का नाम	पति का नाम	पता	सदस्यता शुल्क/प्रवेश शुल्क	प्रति हिस्सा की दर @ रु 10 हिस्सा/ प्रति शेयर	आवंटित हिस्सा की संख्या	कुल हिस्सा राशि (कुल 10 हिस्सा/ शेयर)	हिस्सा क्रमांक (......से ....तक)	हिस्सा आवंटन की तिथि	निदेशक पर्षद बैठक की तिथि	निदेशक पर्षद प्रस्ताव संख्या	रसीद संख्या/ हिस्सा प्रमाण पत्र क्रम सं
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												